उत्पादक समूह

g]bk^ Y å _ l kFakW6P

प्रस्तावना

उत्पादक समूह ऑपरेशनल मैन्युअल (   ) जी वका परियोजना द्वारा तैयार की गयी मार्गद र्शका है, जिससे जी वकोपार्जन के लए बनाये गए व शष्ट लक्ष्योंमुख उत्पादक समूहों के एकरूप संचालन का रूप-रेखा समझा जा सके | मार्गद र्शका का मुख्य उद्देश्य उत्पादक समूह से जुड़ी तकनीकी पहलुओं एवं अन्य सम्बं धत जानकारियों को आम आदमी तक पहुँचाना है ता क आम जन में एक पेशेवर उद्यमशीलता का वकास कया जा सकेगा |

 कसी भी समुदाय की भोजन एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आधारभूत जरूरतें पूरी होने के बाद जी वकोपार्जन के लए व भन्न तरीकों की बात होती है जिस क्रम में कृ ष व्यवसाय, दुग्ध व्यवसाय, मुर्गीपालन या अन्य व्यावा सक गति व धयों, यथा - व भन्न आर्ट क्राफ्ट कार्य; कपड़े की बुनाई; अगरबत्ती बनाना; लाह की चूड़ी बनाना; दरी बनाना इत्यादि, की बात की जाती है | समुदाय, सदियों से व भन्न आ र्थक गति व धयों में सं लप्त है | व्यवहार में यह पाया गया है की ऐसी ग्रामीण आ र्थक गति व धयों को करने वालों को व्यवसाय का पेशेवर तरीका नहीं मालूम होता है | अतः ऐसे समान आ र्थक गति व ध करने वाले लोगों को एक जगह इक्कठा करके एक उत्पादक समूह की परिकल्पना की गयी जिससे उनके लए अपेक्षाकृत कम लागत वाली आगत साम ग्रयाँ उपलब्ध करायी जा सके, एक चन्हित जगह पर भण्डारण कया जा सके, एक तयशुदा जगह पर उत्पादन कार्य कया जाये ता क उत्पाद की गुणवत्ता एवं एकरूपता सुनिश्चित की जा सके तथा अंततः एक अच्छा लाभ कमाया जा सके | इस पूरे क्रयाकलापों के सामंजस्य से एक स्व-प्रबं धत, चर-स्थायी संस्था का वकास करना है जिससे समुदाय के पारम्परिक जी वकोपार्जन व्यवसाय को एक लाभप्रद आ र्थक इकाई के रूप में परिणत कया जा सके |

प्रस्तुत मैन्युअल; उत्पादक समूह क्या है, उसका संस्थागत वन्यास का रूप क्या हो सकता है, उसके गठन की प्र क्रया क्या होनी चाहिए, उसको वत् कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है, उसके लए व्यवा सक कार्य-योजना कैसे तैयार की जाएगी, उसका बाजार-सहलग्नता कैसे कराया जा सकता है, उसे कैसे एक आत्मनिर्भर व लाभप्रद आ र्थक इकाई बनाया जा सकता है; की बिस्तृत चर्चा करता है | इस प्रारूप को आधार मान कर कसी भी समुदाय को जी वकोपार्जन हेतु आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है |

वषय-सूची

वषय	पृष्ठ संख्या
१. अवधारणा	३
१.१. परिभाषा	
१.२. उद्देश्य	
२. संस्थागत वन्यास	४
३. गठन प्र क्रया	६
३.१. गठन से पूर्व	
३.२. उत्पादक समूह निर्माण	
३.३. वकास के चरण	१०
३.४. उपस मतियों का गठन	
४. बैठक संचालन प्र क्रया	
५. कार्य एवं गति व धयाँ	
६. कार्य एवं उत्तरदायित्व	१५
७. प्रबंधन	
८. एक सफल उत्पादक समूह का प्रारूप	१९
९. परि शष्ट	

अवधारणा

परिभाषा -

उत्पादक समूह एक स्व-प्रबं धत व्यवसायिक समूह है जहां गैर-पेशेवर उत्पादकों द्वारा पारस्परिक आय बढाने के लए सामूहिक उत्पादक गति व धयां की जाती हैं तथा बाजार तक उन उत्पादों की अनवरत उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है |

इस व्यवसायिक समूह में समूह के सदस्य स्वेच्छा से अपना समय, कौशल / हुनर और श्रम दान करके अपनी आय और उत्पादकता बढाते हैं | इस समूह में प्रबंधन सम्बन्धी सभी निर्णय सामूहिक रूप से कया जाता है जिससे उत्पादन की सारी गति व धयों की पारद र्शता सुनिश्चित हो जाती है |

उत्पादक समूह का उद्देश्य -

उत्पादक समूह बनाने का मुख्य उद्देश्य स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में उद्यमशीलता का वकास करना, उनके लए आय एवं रोजगार के अवसरों को बढ़ाना और कार्य-क्षेत्र में मांग- आधारित उत्पादन को बढ़ावा देना है, जिससे फलस्वरूप उत्पादों का एक चर-स्थायी बाजार स्था पत कया जा सके एवं एक स्व-प्रबं धत, लाभप्रद व्यवसायिक संस्था का वकास कया जा सके|

एक उत्पादक समूह को चर-स्थायी लाभप्रद बनाने के लए उत्पादन के निम्न चरणों में समर्थन /भरण-पोषण करना चाहिए :-

. उत्पादन का चरणबद्ध नियोजन
. आगत प्रबंधन
. उत्पादकता वृद् ध [सूचना एवं तकनीकी प्रसार द्वारा]
. उत्पादन के बाद का गुण/मूल्य संवर्धन तथा स्थानीय प्रसंस्करण
. गुणवत्ता प्रबन्धन
. बाजार सहलग्नता एवं सम्बं धत प्रबंधन
. सम्बं धत जो खम प्रबंधन

एक उत्पादक समूह निम्नां कत सेवाएँ प्रदान कर सकता है :-

कृ ष सहयोग साम ग्रयाँ; कृ ष प्रसार व प्र शक्षण सु वधाएँ; बाजार आधारित सूचना व समझ का वनिमय; कृ ष परामर्शक सेवाएँ; कृ ष उपकरण खरीद व मरम्मती सेवाएँ; मृदा, पानी एवं उर्वरक परीक्षण को सुग मकरण; गुणवत्ता मानक/ ग्रे डंग व छटाई सु वधाएँ; सं वदात्मक आगत एवं कराया द्वारा वापस लेने की व्यवस्था; अन्य आधारभूत सु वधाएँ जैसे - परिवहन, स्थानीय भंडारण, संवेष्टन/ पै कंग की सु वधा इत्यादि | ये सु वधाएँ केवल दृष्टान्त स्वरुप हैं | यहाँ से उत्पादन सम्बं धत अन्य मांग-आधारित सेवाएँ भी उपलब्ध होंगी |

एक उत्पादक समूह का संस्थागत वन्यास

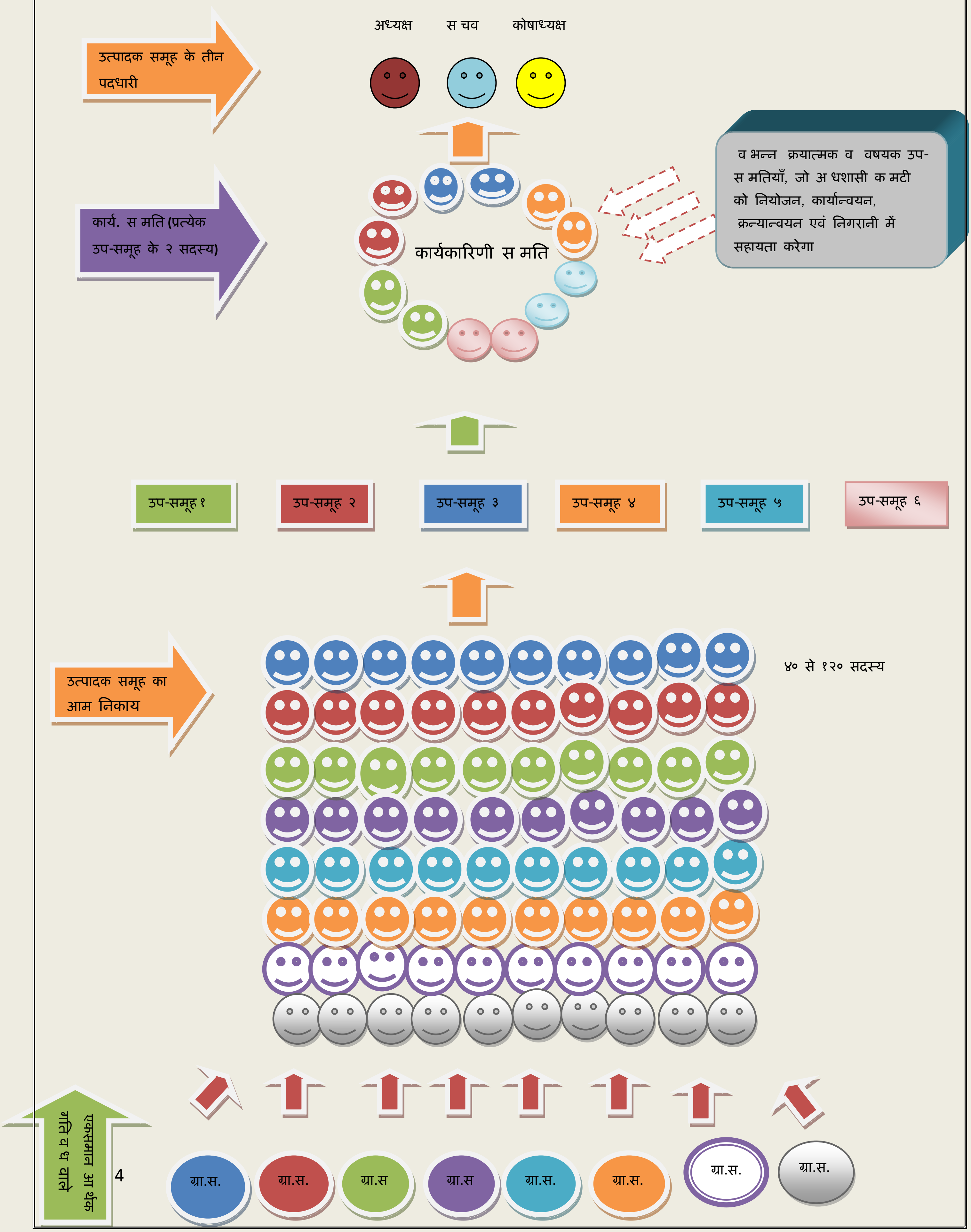

उत्पादक समूहों का सामुदायिक संचालन

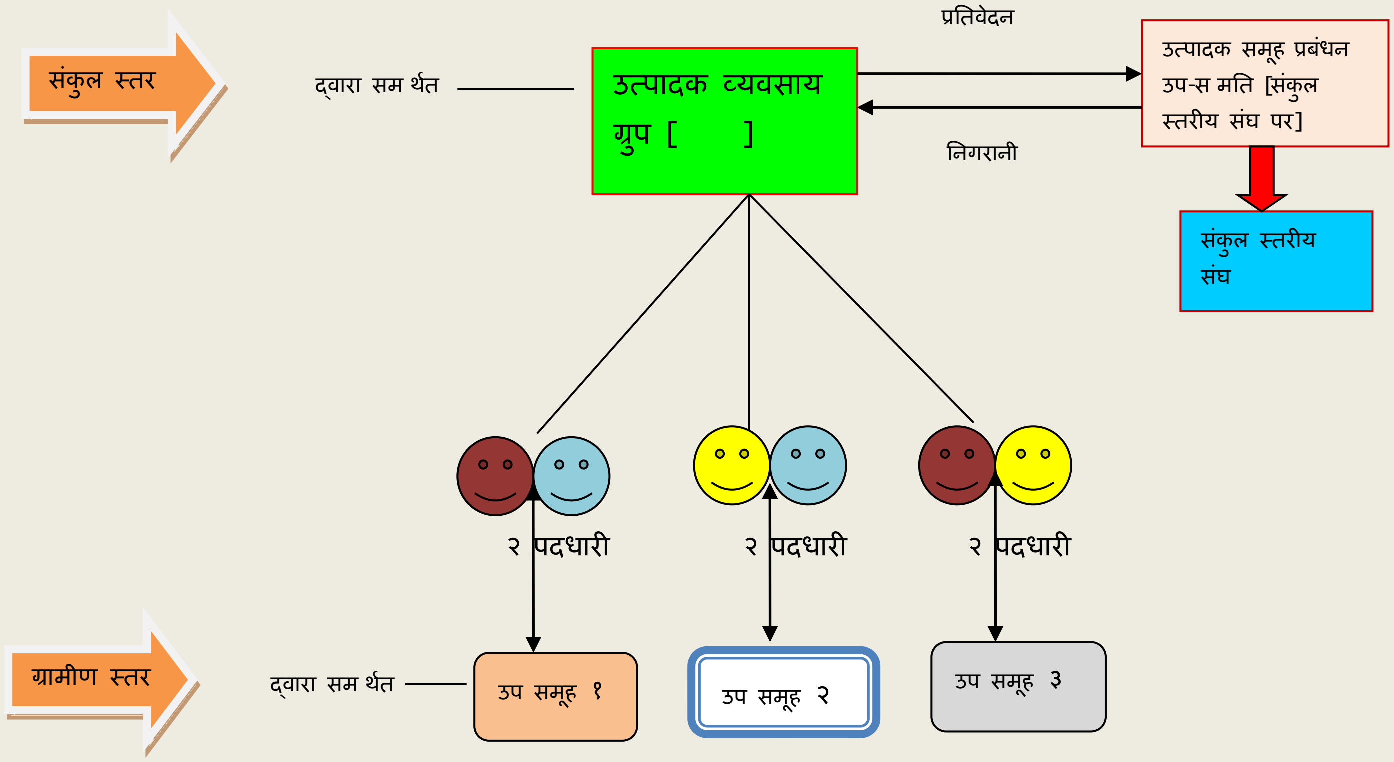

उत्पादक समूह की गठन - प्र क्रया

प्रथम चरण: जी वकोपार्जन सम्बन्धी समान आ र्थक गति व धयों की पहचान/ मान चत्रण

क्यों- एक निश्चित क्षेत्र के अंतर्गत होनेवाले एक व शष्ट आ र्थक गति व ध करने वाले परिवारों/सदस्यों की पहचान करना

कैसे- ग्राम-संगठन स्तर पर एक वशेष बैठक का आयोजन करके एक निर्धारित प्रपत्र द्वारा (प्रपत्र का प्रारूप देंखे परि शष्ट...)

कौन करेगा- निर्धारित प्रपत्र को ग्राम-संगठन स्तर पर सम्बं धत सामुदायिक साधन- से वयों (जी वका- मत्र, बुक-कीपर, वी.आर.पी. एवं एस.ई.डब्लू.) द्वारा भरा जायेगा | (जिला स्तर पर प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं लाईव लहूड्स स्पेश लस्ट का प्रपत्र भरने हेतु उन्मुखीकरण, लाईव लहूड्स प्रबंधक (फार्म/ऑफ फार्म/नॉन फार्म) द्वारा कया जाएगा | प्रखंड स्तर पर अन्य परियोजना क र्मयों का तत्सम्बन्धित उन्मुखीकरण, प्रखंड परियोजना प्रबंधक/ लाईव लहूड्स स्पेश लस्ट के द्वारा कया जायेगा|)

कब- उत्पादक समूह के गठन के पूर्व सम्बं धत ग्राम-संगठन जी वकोपार्जन सबंधी गति व धयों में सं लप्त हो एवं वहाँ वी.आर.पी. कार्यरत हो | ग्राम-संगठन/संगठनों को उत्पादक समूह का आधारभूत मोड्युल्स का प्र शक्षण मल जाना चाहिए | साथ ही ग्राम-संगठन /संगठनों में जी वकोपार्जन मान चत्रण कार्य हो जाना चाहिए |

उन्मुखीकरण, परिचयात्मक दौरा और प्र शक्षण

सहभागी कौन

उत्पादक समूह से जुड़े हुए सभी सदस्य और सम्बं धत ग्राम-संगठन के सभी कैडर इसके प्रतिभागी होंगे

प्र क्रया-

उत्पादक समूह से जुडे हुए सभी सदस्य और सम्बं धत ग्राम-संगठन के सभी कैडरों को उन्मुखीकरण के बाद पूर्व से कार्यरत कसी आदर्श उत्पादक समूह या एक समान गति व ध से जुड़े हुए समुदाय में परिचयात्मक दौरा कराना |

उन्मुखीकरण तथा प्र शक्षण की प्र क्रया में सम्बं धत क्षेत्र के वशेषज्ञ, वशेषज्ञ संस्थान के प्रतिनि ध/ लाइवलीहुड स्पेश लस्ट/ अन्य समबन्धित परियोजना कर्मी शा मल होंगे |

उत्पादक समूह का गठन करने की प्र क्रया निम्नवत है -

प्रथम कदम- एक व शष्ट गति व ध को करने वाले समुदाय के बीच उत्पादक समूह की अवधारणा एवं आवश्यकता के बारे में चर्चा |

सामुदायिक समन्वयक/ क्षेत्रीय समन्वयक/ लाइवलीहुड स्पेश लस्ट एक समान उत्पादक गति व ध करने वाले समुदाय के बीच उत्पादक समूह की अवधारणा और आवश्यकता के बारे में चर्चा करेंगें | उन्हें यह भी बताना चाहिए क उत्पादक समूह कस प्रकार से व्यवसायिक गति व धयों को संचा लत करते हुए संबं धत सदस्यों के आ र्थक वकास में भू मका निभाएगा | साथ ही उत्पादक समूह के आम निकाय, कार्यकारिणी/ निदेशक मंडल तथा पदधारियों के कार्य और उत्तरदायित्व के बारे में वस्तार से चर्चा की जानी चाहिए|

उपरोक्त चर्चा के दौरान सामुदायिक समन्वयक /क्षेत्रीय समन्वयक/लाइवलीहुड स्पेश लस्ट तथा सामुदायिक- साधन सेवी (जी वका मत्र,वी.आर.पी.,बुककीपर इत्यादि) निम्न वषयों पर चर्चा को प्रोत्साहित करेंगे-

जिस चन्हित गति व ध के लए उत्पादक समूह का गठन कया जाने वाला है, उस गति व ध के वर्तमान स्थिति, उपलब्ध संसाधन, बाजार की उपलब्धता, नफा-नुकसान, समस्याओं आदि की चर्चा करेंगे|
चर्चा में आये हुए समस्याओं के समाधान के उपायों पर वचार करते हुए उत्पादक समूह के आवश्यकता पर चर्चा करेंगे | चर्चा का प्रारूप जैसे -

* उत्पादन हेतु सम्बं धत आगत की आपूर्ति में सहयोग/मार्गदर्शन के लए तकनीकी क्षमता-वर्धन
* बाजार संबन्धित जानकारी की उपलब्धता
* उत्पादन से सम्बं धत प्र क्रया पर
* स्थानीय स्तर पर भण्डारण की व्यवस्था
* पै कंग/ढुलाई की सु वधा
* बाजार मोल-भाव के द्वारा उत्पादों का सही मूल्य निर्धारण
* उत्पाद के वपणन में सहयोग
* संबं धत गति व ध को करने के लए वत्तीय सु वधा का श्रोत क्या होना चाहिए - ग्राम संगठन/संकुल स्तरीय संघ या अन्य वत्तीय संस्थानों यथा बैंक से

सुगमकर्ता/समन्वयक द्वारा उत्पादक समूह के गठन हेतु सहमती बनने के बाद अगली बैठक/परिचायात्मक दौरा हेतु ति थ और स्थान का निर्धारण कया जाना चाहिये

परिचयात्मक दौरा का उद्देश्य-

१. उत्पादक समूह के निर्माण-प्र क्रया की जानकारी लेना

२. उत्पादक समूह के सदस्यता सम्बं धत जानकारी

३. उत्पादक समूह के कार्यप्रणाली की जानकारी

४. उत्पादक समूह का उपस मति तथा उसके कार्य और उत्तरदायित्व की जानकारी

५. सम्बन्धित अनुभवों का आदान-प्रदान करना

परिचयात्मक दौरा के उपरांत सीख पर चर्चा कया जाना चाहिए, उसके बाद उत्पादक समूह के गठन के स्थान एवं ति थ को निर्धारित कया जाना चाहिए |

उत्पादन समूह का गठन-

पूर्व निर्धारित ति थ व स्थान पर एक बैठक का आयोजन कया जाना चाहिए, जिसमे सभी इक्छुक व योग्य सदस्य भागीदारी करेंगे |

चत्र- उत्पादक समूह के आम निकाय की बैठक

इस बैठक में सुगमकर्ता/समन्वयक द्वारा उत्पादक समूह के सरंचना के बारे में वस्तार से चर्चा होने के उपरांत आम-निकाय के कार्य और उत्तरदायित्व पर चर्चा की चर्चा जानी चाहिए,जो इस प्रकार हैं-

उत्पादक समूह के सदस्यता हेतु पात्रता के बारे में बताया जाना चाहिए-

- स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना चाहिए
- जिस गति व ध वशेष हेतु उत्पादक समूह कार्य करता है उसका प्राथ मक उत्पादक होना चाहिए
- उत्पादक समूह द्वारा बनाये गए नियमों में निष्ठा रखता हो
- सदस्यता शुल्क रुपया ५०/- देने को तैयार हो
- एक समान कार्य के लए बने उत्पादक समूह में एक परिवार से एक सदस्य ही होंगे
- एक ही सदस्य अलग-अलग कार्यों के लए नि र्मत उत्पादक समूह के सदस्य हो सकते हैं

सदस्यता समाप्ति कब ?

- उत्पादक समूह के नियमों के वरुद्ध कार्य करना
- बिना सूचना दिए दो लगातार आम सभा बैठक में अनुपस्थित रहना
- सम्बं धत स्वयं सहायता समूह से सदस्यता समाप्त हो जाना

आम निकाय के कार्य और उत्तरदायित्व

~ कार्यकारिणी स मति का गठन और पदधारियों- अध्यक्ष,स चव और कोषाध्यक्ष; उप-स मतियों का चुनाव
~ उत्पादक समूह के व्यवसाय प्रारूप एवं कार्य-योजना का अनुमोदन तथा नियत अंतराल पर उत्पादक समूह के कार्य की समीक्षा करना
~ बजट तथा कार्यकारिणी-स मति और पदधारियों के वत्तीय शक्तियों का अनुमोदन करना
~ कार्यकारिणी स मति के द्वारा प्रस्तुत कये गए वा षक प्रतिवेदन एवं बजट का समीक्षा/ अनुमोदन करना
~ अन्य नीतिगत निर्णय लेना जैसे- उत्पादक समुहों का वलय, वघटन इत्यादि

कार्यकारिणी स मति के कार्य और उत्तरदायित्व

आम निकाय के गठनोपरांत सुगमकर्ता/समन्वयक को कार्यकारिणी स मति के कार्य और उत्तरदायित्व पर चर्चा करनी चाहिए, जैसे-

उत्पादक समूह की मीटिंग आयोजित करना
सभी नीतिगत तथा व्यवसायिक निर्णय लेना
उप-स मतियों के बीच समन्वय स्था पत करना
व्यापार प्रारूप, कार्य योजना तथा बजट बनाना
सदस्यों का क्षमतावर्धन एवं कौशलवर्धन करना
कर्मचारी एवं समुदाय आधारित कैडरों का प्रबंधन
वा षक वत्तीय ववरण प्रस्तुत करना
वत्तीय लेखा एवं अंकेक्षण की व्यवस्था करना
संकुल संघ तथा ग्राम संगठन के साथ समन्वय स्था पत करना

कार्यकारिणी स मति के सदस्य कौन ?

प्रत्येक उपसमूह से चयनित दो सदस्य

- सुगमकर्ता/समन्वयक को कार्यकारिणी स मति के गठानोपरान्त उत्पादक समूह के पद-धारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व के बारे में चर्चा करना
- चर्चा के दौरान पद-धारियों यथा अध्यक्ष, स चव एवं कोषध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व की वस्तार पूर्वक चर्चा करनी चाहिए

पद-धारियों का कार्य-काल दो वर्ष का होगा

अध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व:

- उत्पादक समूह की बैठक निय मत कराना एवं एजेंडा निर्धारित करना
- उत्पादक समूह की आयोजित होने वाली सभी बैठकों की अध्यक्षता करना
- सामूहिक गति व धयों के आ थक हित में लए निर्णय पर पहुँचने में मदद करना
- उप-स मतियों का कार्य-समीक्षा करना
- उत्पादक समूह के उदेश्यों को प्राप्त करने के लए स चव व कोषाध्यक्ष से सामंजस्य स्था पत करना
- संकुल स्तरीय संघ या अन्य उच्च स्तरीय संस्थानों में उत्पादक समूह का प्रतिनि धत्व करना
- उत्पादक समूह के बैंक खाता का संचालन करना
- समूह में कसी ववाद का शान्तिपूर्ण समाधान

स चव के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- उत्पादक समूह के बैठक आहूत करने में अध्यक्ष की मदद करना तथा सदस्यों की भागेदारी सुनिश्चित करना
- बैठक में कये गए चर्चा की मनट्स लखना सुनिश्चित करना

- उत्पादक समूह के द्वारा बनाये गए नियमों का पालन सुनिश्चित करना एवं अनुशासन बनाये रखने की जिम्मेदारी
- कार्यकारिणी के समक्ष उप-स मतियों एवं उप-समूहों के द्वारा कये गए कार्यों को प्रस्तुत करना
- बैंक खाते का संचालन करना
- उप-समूहों की बैठकों का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना (परि शष्ट देखे....)
- अन्य संस्थाओं से सहलग्नता स्था पत करना तथा पत्र व्यवहार करना

कोषाध्यक्ष के कार्य एवं उत्तरदायित्व

- उत्पादक समूह द्वारा जुटाए गए रा श की सुरक्षा एवं लेखा प्रबंधन
- उत्पादक समूह के बैंक शेष एवं नकद रा श का धारण
- कसी भी तरह के रा श प्राप्ति का रसीद निर्गत करना
- कसी भी रा श प्राप्ति एवं खर्च के ब्योरे का रोकड़ अद्यतन की जिम्मेदारी
- उत्पादक समूह के सभी बैठकों में शा मल होना और वत्तीय लेनदेन का हिसाब प्रस्तुत करना
- मा सक वत्तीय ववरण तैयार करना तथा इसे कार्यकारिणी स मति को, प्रखंड एवं जिला स्तर पर प्रस्तुत करना

उत्पादक समूह का वकास

अव ध 0 से 2 माह

i. उत्पादक समूह के सदस्य उत्पादक समूह की अवधारणा ,उद्देश्य तथा भू मका से अवगत होंगे
ii. उत्पादक समूह का निदेशक मंडल अपने कार्य एवं उत्तर्दायित्व के प्रति जागरूक होंगे
iii. उत्पादक समूह के कार्यालय संचा लका अध्यक्ष, स चव और कोषाध्यक्ष अपने कार्य एवं उतरदायित्व के बारे में जागरूक होंगे
iv. प्रति सदस्य 50 रूपए सदस्यता शुल्क के रूप में जमा करेंगे
v. उत्पादक समूह के नाम से बैंक में बचत खाता खुल जाएगा
vi. वी आर पी (आवश्यकता अनुसार कार्य क्षेत्र को देखते हुए) का चुनाव कया जायेगा तथा उसके प्र शक्षण का कार्यक्रम आरम्भ कर दिया जायेगा
vii. उत्पादक समूह का कार्यालय तय कर लया जाएगा
viii. उत्पादक समूह का ग्राम-संगठन/संकुल स्तरीय संघ/जी वका प्रखण्ड क्रयान्वयन इकाई से समझौता पत्र ( ) पर हस्ताक्षर हो जाएगा
ix. उत्पादक समूह उत्पादन-संबंधी योजना बनाना प्रारंभ करेगा
x. <u>उत्पादक समूह में लेखा-जोखा शुरू हो जायेगा</u>
xi. <u>उत्पादक समूह ग्राम संगठन एवं संकुल संघ को प्रतिवेदन देना प्रारंभ कर देगा</u>

<u>उप-स मति का गठन कार्य एवं उत्तरदायित्व</u>

उप-स मति क्यों?

उत्पादक समूह एक व्यवसायिक व पेशेवर समूह है जो उत्पादन, उत्पादकता, बाज़ार इत्यादि संबंधी गति व धयों को संचा लत करता है | इस व्यवसायिक इकाई में आगत की गुणवता एवं लागत मूल्य पर नियंत्रण रहता है जिससे उत्पाद की गुणवता व सदस्यों के आय में वृद् ध होति है |

ये उपस मतियां, उत्पादक समूह के निम्न कार्यों में मदद करेंगी -

- लागत प्रबंधन करने में निदेशक मंडल को सहायता करना
- साख तथा बीमा की व्यवस्था करना
- उत्पादकता वृद् ध संबंधी सु वधा मुहैया करने में मदद करना
- स्थानीय स्तर पर बाज़ार तथा गुणवत्ता संवर्धन में मदद करना
- वत्तीय प्रबन्धन में मदद करना
- सामाजिक अंकेक्षण तथा खरीददारी में मदद करना

उप-स मतियों का निर्माण

उपस मति के गठन के पूर्व उत्पादक समूह के सदस्यों को उप-स मति के निर्माण और उसके जिम्मेदारियों पर प्र शक्षण देना चाहिए | प्र शक्षण के उपरांत उप-स मतियों के गठन पर चर्चा होना चाहिए |

उपस मतियों के निर्माण एवं उनकी भू मका पर प्र शक्षण

- प्रतिभागी- उत्पादक समूह के सदस्य
- प्र शक्षक- सामुदायिक समन्वयक, क्षेत्रीय समन्वयक एवं लाइवलीहुड स्पेश लस्ट

चर्चा का वषय

- उपस मति की अवधारणा
- उपस मति का निर्माण अथवा गठन प्र क्रया
- उपस मति के कार्य एवं उत्तरदायित्व
- उपस मति के कार्यों की समीक्षा

उपस मति के निर्माण की प्र क्रया

आम निकाय की सहायता से निदेशक मंडल द्वारा उप-स मतियों का निर्माण कया जाएगा |

प्रत्येक उप-स मति में कम-से-कम तीन सदस्य होंगे जिनका चुनाव निदेशक मंडल करेगा |

निदेशक मंडल के सदस्य, उपस मति के सदस्य नहीं हो सकते |

जब उत्पादक समूह लगातार दो महीनों तक अपनी बैठक कर लेता है तब निम्न ल खत उप-स मतियों का निर्माण करना चाहिए-

- खरीददारी उप-स मति
- उत्पादकता वृद् ध उप-स मति
- लागत उप-स मति
- सामाजिक अंकेक्षण एवं वत्त उप-स मति
- तथा आवश्यकता अनुसार कार्यों को देखते हुए आम निकाय की सदस्यों में से निदेशक मंडल द्वारा उप-स मति का गठन कया जाएगा |

उपस मतियों की भू मका एवं उत्तरदायित्व

खरीददारी उप-स मति

- इस उपस मति में आम निकाय के ३-५ सदस्य होंगे
- इस उपस मति के कार्य निम्न ल खत होंगे -
  - व भन्न सेवाओं या साम ग्रयों के खरीद में सामुदायिक खरीददारी नियम का पालन सुनिश्चित करना
  - सभी बिलों को जांच कर सामग्री वतरण की अनुशंसा करना
  - रेट बैंक बनाना

वपणन उप-स मति -

वपणन उपस मति में ३-५ सदस्य होने चाहिए जिनका चयन निदेशक मंडल के द्वारा आम सभा के सदस्यों के बीच से कया जाता है और इनके कार्य एवं उतरदायित्व निम्न होंगे -

- उत्पादक समूह के उत्पादों हेतु ग्राहक खोजना

- उत्पादन के गुणवत्ता के अनुरूप मूल्य निर्धारित करना

उत्पादकता वृद् ध उप-स मति-

इस स मति में ३-५ सदस्य होते हैं | उत्पादकता बढाने के उदेश्य से उपयोग में आने वाले तकनीकी एवं सूचना को उपलब्ध कराना एवं उनका उपयोग सुनिश्चित करना |

सामाजिक अंकेषण एवं वत्त उप-स मति -

* इस स मति में ३-५ सदस्य होते हैं | उत्पादक समूह स्तर पर सामुदायिक खरीददारी के अंतर्गत खरीदी गई वस्तुओ की जाँच करना|
* ग्राम संगठन /संकुल-संघ तथा अन्य वतीय संस्थाओ से प्राप्त रा शयों की उ पयो गता का मूल्यांकन करना |

उत्पादक समूह के बैठक का तरीका एवं एजेंडा

उत्पादक समूह के अध्यक्ष, स चव, कोषाध्यक्ष बायें से दायें सीधा, कोषाध्यक्ष के बायें लेखापाल तथा कतार बनाकर सामुदायिक साधन सेवीसामने आयताकार रूप में बैठेंगे
कतार से बाहर अध्यक्ष के दाहिने परियोजनाकर्मी एवं अन्य आगन्तुक सदस्य बैठेंगे
उत्पादक समूह के बैठक में उपस्थित सदस्यों से चर्चा कर प्रतिनि धयों द्वारा एजेंडा को तैयार करना
उत्पादक समूह के अध्यक्ष द्वारा पछले बैठक के प्रस्ताव एवं निर्णय की समीक्षा के उपरांत नए चर्चा के बिंदुओं को शा मल करना
बैठक के दौरान प्रत्येक चर्चा के वषय को लेखापाल द्वारा कार्यवाही पुस्तिका में लखते जाना चाहिए एवं जिन वषयों पर सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है, उसको अंत में बारी बारी से पढ़कर सुनायेंगे
चर्चा के वषयों को बैठक में ही लखेंगे तथा अंत में सभी उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षर करवा कर सभी पुस्तकों को प्रतिनि धयों को सौप देंगे
प्रत्येक उप-समूह से दो सदस्य कार्यकारणी की बैठक में भाग लेंगे

कार्यकारणी स मति की बैठक के लए आदर्श कार्यसूची

क्रसं.	चर्चा का वषय	समय धअव
१.	प्रार्थना	५ मनट
२.	परिचय	१० मनट
३.	उपस्थिति	१० मनट
४.	पछले बैठक की समीक्षा	२० मनट
५.	चर्चा के बिंदुओ का निर्धारण	२० मनट
६.	उपसमूह की समीक्षा	२० मनट
७.	लेखापालकी समीक्षा .पी.आर.पाल तथा भी-भंडार,	१५ मनट
८.	उप-स मति की समीक्षा	१० मनट
९.	अ ग्रम कार्ययोजना तैयार करना	१५ मनट
१०.	आय -व्यय तथा प्राप्ति-भुगतान की समीक्षा	१० मनट
११.	बैठक की समाप्ति	५ मनट

चत्र -उत्पादक समूह की बैठक

चत्र - उत्पादक समूह में प्रार्थना करतीं सदस्य

१. प्रार्थना -उत्पादक समूह अपने गीत को चुनें और प्रार्थना कर बैठक की शुरुआत की जाए | समूह को ऐसी प्रार्थना चुननी चाहिए जिस पर उस उस उत्पादक समूह से जुड़े कसी ख़ास समुदाय को आप त्त न हो एवं जो प्रेरणादायी व आत्म वश्वास से भरा हो |

२. परिचय - उत्पादक समूह के प्रत्येक बैठक में परिचय देना चाहिए | परिचय देना अनिवार्य है जिसमे अपनी बातों को बैठक में रख सकें |

३. उपस्थिति -स चव एवं लेखापाल उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति सम्बन्धित पुस्तिका में दर्ज करेंगें |

४. पछले बैठक की समीक्षा- पछले बैठक की कार्यवाही को पढ़कर सभी उत्पादक सदस्यों को पढ़कर सुनाना चाहिए एवं लए गए निर्णयों के आधार पर चर्चा के वषय का निर्धारण करना चाहिए |

५. चर्चा के बिंदुओ का निर्धारण- आपसी परामर्श द्वारा सभी सदस्य उत्पादन और प्रबन्धन से सम्बं धत वषय का निर्धारण कर चर्चा करेंगे और निर्णय लेंगे |

६. उप-समूह की समीक्षा -उप-समूह के सभी सदस्यों का परिचय कराया जाना चाहिए | तत्पश्चात उनकी गति व धयों एवं समस्याओं की समीक्षा की जानी चाहिए |

७. कैडर की समीक्षा - बैठक में वी आर पी,- लेखापाल, भण्डारपाल के कार्यों की समीक्षा की जानी चाहिए | इनके द्वारा सम्पादित कये गए कार्य यथा- नकद प्राप्ति रसीद, नकद भुगतान रसीद, मानदेय निर्गत व वतरण इत्यादि की समीक्षा तथा सम्बंधत पुस्तिका से मलान होना चाहिए |
८. उपसमति की समीक्षा - उप-समति के कार्यों के आधार पर उनकी प्रगति की समीक्षा उत्पादक समूह की बैठक में प्रस्तुत करना अनिवार्य है, क उपसमति को क्या करना हैसाथ ही अगले माह में प्रत्ये इस बिंदु पर दिशा-निर्देश दिया जायेगा | उप-समतियों का भ्रमण प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कया जायेगा |
९. अग्रम कार्ययोजना तैयार करना तथा संभावना आधारित कार्य योजना/ उत्पादक समूह भवष्य की मांग -तैयार करेगा |
१० .आय -वं भुगतान की समीक्षाव्यय तथा प्राप्ति ए- कोषाध्यक्ष या लेखापाल द्वारा पछले माह का आय-व्यय तथा प्राप्ति-भुगतान का ववरण बनाकर उत्पादक समूह की बैठक में प्रस्तुत कया जायेगा तथा इसकी समीक्षा की जाएगी |
११. बैठक की समाप्तिलेखापाल उत्पादक समूह की बैठक में की गई सभी चर्चाओ कब -बैठक के अंत में सभी सदस्यों को पढ़ कर सुनायेगे तथा सभी सदस्यों का हस्ताक्षर लेकर कताबो को उत्पादक समूह के प्रतिनिधयो को सौप देंगे |

उत्पादक समूह के कार्य एवं गति व धयाँ

१. उत्पादन योजना - क्या उत्पादन होगा, वर्तमान में कतना उत्पादन हो रहा है, समूह इस बारे में क्या सोच रहा है, उनके लए क्या-क्या सम्भावनाएं उपलब्ध हैं ?

- बाजार सर्वेक्षण स मति के प्रतिवेदन के आधार पर उत्पादन की आवश्यकता निर्धारित करेगा
- अ ग्रम रा श की मांग [तैयार माल के लए ऑर्डर लेते समय ग्राहक से कर सकती है]
- उत्पादक समूह अपने सदस्यों के आय वृद् ध हेतु उत्पादन-योजना तैयार करेगा | उत्पादन-योजना बनाते समय बाजार की माँग, उपलब्ध संसाधन, उपलब्ध संस्थागत सु वधाएँ एवं पछले उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता का आधार बनाया जाना चाहिये
- गुणवत्ता सम्बन्धी मानकों को सुनिश्चित करना

२. आगत प्रबंधन - प्रस्ता वत उत्पाद के उत्पादन में लगने वाली आगत बस्तुओं का लागत मूल्य निश्चित कर निय मत क्रय की व्यवस्था करना |

- कच्चे माल एवं आवश्यक उपकरणों की सामूहिक खरीद पर चर्चा
- कच्चे माल के गुणवत्ता प्रबन्धन पर चर्चा
- कच्चे माल के लए उपयुक्त एवं तर्कसंगत बाजार पर चर्चा
- कच्चे माल के गुणवत्ता निरंतर बनी रहे, इसके लए संभा वत रणनीति एवं जरुरी संसाधनों पर चर्चा
- कच्चे माल के भण्डारण एवं सुरक्षा की व्यवस्था पर चर्चा

३. उत्पादकता में बढ़ोत्तरी सम्बन्धी योजना - उत्पादक समूह की उत्तरजी वता बनाये रखने हेतु उत्पादन के स्तर में उत्तरोत्तर वृद् ध करनी होती है | इसके लए नीचे व र्णत बिन्दुओं पर चर्चा आवश्यक है :-

- समुदाय /समूह, उत्पाद को बनाने की पूरी प्र क्रया में संलग्न है या कसी एक /दो भाग में शा मल है
- फर आवश्यकतानुसार चरणबद्ध तरीके से हस्तक्षेप करने की योजना पर चर्चा
- उत्पादन की प्रच लत व ध पर चर्चा एवं आने वाले समय में इसके संभा वत मशीनीकरण /अद्यतन करने पर वस्तृत चर्चा
- उत्पादन के प्रच लत व ध को अद्यतन कर उसे लाभकारी बनाने की उपाय पर चर्चा
- सम्बं धत सदस्यों को अपे क्षत परिचयात्मक दौरा व प्र शक्षण करने की चर्चा
- सम्बं धत सदस्यों में उद्यमशीलता वक सत करने पर चर्चा

४. उत्पादन के बाद की योजना सम्बन्धी -

- तैयार उत्पाद के भण्डारण की व्यवस्था पर चर्चा
- तैयार उत्पाद के डब्बाबंदी की व्यवस्था पर चर्चा
- तैयार उत्पाद के स्टॉक को अं कत करना
- तैयार उत्पाद को निर्धारित समय पर चन्हित बाजार /एजेंसी तक पहुँचाना
- उत्पादन के दौरान यदि कोई द् वतीयक उत्पाद तैयार हो तो उसके लए बाजार /एजेंसी चन्हित करने पर चर्चा

५. बाजार-सहलग्नता एवं सूचना प्रबन्धन

- तैयार उत्पाद के लए बाजार-सहलग्नता के लए एजेंसी चन्हित करने की प्र क्रया पर चर्चा
- बिक्रेता एवं संभा वत क्रेता का पारस्परिक मेल कराना
- वैकल्पिक बाजार की व्यवस्था पर भी चर्चा जिससे लाभ के आकार को बढाया जा सके
- बाजार से सम्बं धत अद्यतन सूचनाओं को एकत्र करना एवं सदस्यों तक पहुँचाना
- सम्बं धत उत्पादन से जुड़े हुए रोज़गार के अवसर ढूँढना ता क समुदाय को अतिरिक्त लाभ पहुँचाया जा सके
- साथ ही जी वकोपार्जन में सहायक अन्य सेवाओं हेतु सरकारी /गैर-सरकारी/अर्ध-सरकारी संस्थाओं से सम्बद्ध कराना

६. ज़ोखम प्रबन्धन

- सम्बद्ध सदस्यों के लए बीमा की चर्चा
- उत्पादन क्रया के आरंभ से लेकर लाभ वतरण प्र क्रया के समाप्ति तक ज़ोखम कम करने हेतु वशेषग्य की सेवा लेने पर चर्चा

<u>उत्पादक समूह का प्रबंधन</u>

उत्पादक समूह के प्रबंधन का लक्ष्य एक स्व- प्रबं धत लाभकारी संस्था बनाना है जिसके लए यह आवश्यक है समूह के व भन्न क्रया-कलापों के लए पृथक् वभाग बनाया जायेगा और उत्पादक समूह के सदस्यों में उनके कार्यों का बंटवारा कया जाएगा | ऐसा करने से संसाधनों का इष्टतम /सर्वोत्कृष्ट उपयोग हो पायेगा और उत्पादक समूह के सामूहिक उदेश्यों को प्राप्त कया जा सकेगा |

एक उत्पादक समूह को नीचे दिए गए वशेष क्षेत्रों में प्रबंधन करना चाहिए -

- वतीय प्रबंधन
- आगत प्रबंधन
- गुणवत्ता प्रबंधन
- वपणन प्रबंधन
- मानव-संसाधन का प्रबंधन
- ववाद निपटारा प्रबंधन
- जो खम प्रबंधन

वतीय प्रबंधन-

उत्पादक समूह में एक वत्त उप-स मति बनाया जायेगा जो अधो ल खत गति व धयों को नियंत्रित करेगी -

- <u>संकुल स्तरीय संघ से उत्पादक समूह में वत्त का स्थानान्तरण करना -</u>
  उत्पादक समूह अपने व्यवसाय हेतु वतीय योजना, संकुल स्तरीय संघ को प्रस्तुत करेगा एवं वत्त के लए आवेदन करेगा | संकुल स्तरीय संघ के मान्यता के बाद उप-स मति के द्वारा ससमय वत्त की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी |
- <u>उत्पादक समूह से संकुल संघ को ससमय ऋण वापसी सुनिश्चित करना -</u>
  ऋण वापसी समय-सारणी का निर्माण करना और यह सुनिश्चित करना क प्रत्येक सदस्य ऋण वापसी के इस समय-सारणी का पालन करे | अर्थात् उत्पादक समूह से संकुल संघ को ऋण वापसी ससमय हो |
- <u>ग्राहकों से भुगतान तथा उत्पादकों को मजदूरी -</u>
  वतीय उप-स मति के द्वारा यह सुनिश्चित कया जायेगा की उत्पादक समूह के बेचे गए सामग्री का भुगतान ग्राहकों से ससमय एकत्रित कया जाए तथा सम्बं धत उत्पादकों को ससमय मजदूरी का भुगतान कया जाए |
- <u>वतीय लेखा-जोखा का अद्यतन -</u>
  उत्पादक समूह में वतीय पारद र्शता बनाए रखने के लए यह आवश्यक है क समूह में कये गए प्रत्येक प्राप्ति-भुगतान का लेखा-जोखा निय मत तौर पर बही-खाता में अद्यतन कया जाए|

आगत प्रबंधन -

उत्पादक समूह के खरीददारी उप-स मति के सदस्यों की जिम्मेवारी होगी क उत्पादन के लए आवश्यक आगत साम ग्रयों का बेहतर प्रबंधन करेगा, यथा -

- आगत साम ग्रयों के लए चन्हित एजेंसी से जुड़ा रहेगा एवं उसके गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करेगा
- लगने वाले आगत कच्चे माल का मांग-आधारित सूची, वी आर पी की मदद से बनाना
- भण्डार-गृह में आगत साम ग्रयों के भण्डारण एवं तत्सम्बन्धित बही रख-रखाव सुनिश्चित करेगा
- सभी सम्बद्ध सदस्यों को आगत साम ग्रयों का माँग-आधारित वतरण सुनिश्चित करेगा |

गुणवत्ता प्रबंधन -

वपणन उप-स मति और खरीददारी उप-स मति, वी आर पी की मदद से गुणवत्ता प्रबंधन के लए कार्य करेगा | इसकी जिम्मेवारियाँ इस प्रकार होंगी -

- आगत साम ग्रयों की गुणवत्ता जाँचना ता क एकरूपता बनी रहे

- नि र्मत वस्तुओं की गुणवत्ता जाँचना
- क्रेताओ के साथ लगातार संपर्क में रहना और उनके फीडबैक के अनुसार आगत साम ग्रयों एवं नि र्मत वस्तुओं के गुणवत्ता में सुधार करना

वपणन प्रबंधन-

उत्पादक समूह में एक वपणन उप-स मति का गठन कया जायेगा जो वपणन से सम्बन्धित सारी जरूरतों को पूरा करने के लए जिम्मेवार होगा | इसकी जिम्मेवारियां इस प्रकार होंगी -

- चन्हित बाजार में तैयार माल की पहुंच सुनिश्चित करना
- तैयार माल का भुगतान, समुदाय में वतरण सुनिश्चित करना
- वपणन प्रकोष्ठ से समन्वय स्था पत कर बाजार - सहलग्नता के नए आयाम बनाना

मानव संसाधान प्रबंधन

सामाजिक-अंकेक्षण उप-स मति, निदेशक मंडल के सदस्यों के सहयोग से उत्पादक समूह में मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य करेगी | इनका कार्य निम्न प्रकार से होगा -

- कैडर प्रबंधन - कैडर, उत्पादक समूह के नित्य कार्यों के निष्पादन में महत्वपूर्ण भू मका निभाते हैं | उत्पादक समूह के लए यह आवश्यक है क वह सही व्यक्ति का चुनाव करे , उसे कार्य प्रदान करे और उसका मूल्यांकन करे | कैडर के क्षमता-वर्धन के लए प्र शक्षण की जरुरत का पता करना और जरुरी प्र शक्षण दिलवाना ता क उनकी उत्पादकता में वृद् ध कया जाए |
- उत्पादक समूह को पेशेवर बनांने हेतु तकनीकी संस्थाओं / परामर्शदाता का चुनाव- उत्पादक समूह के क्रयाकलापों को पेशेवर तरीके से चलाने के लए और इसके लाभ को बढ़ाने के लए परामर्शदाता का चुनाव कया जाना चाहिये | इसके लए व शष्ट परामर्श हेतु प्रमुख संस्थाओ का चयन कया जायेगा | इन सेवाओं के लए उत्पादक समूह, संकुल स्तरीय संघ को आवेदन देगा और इसकी मान्यता के बाद सही संस्था का चयन करके जी वका के समुदायिक प्रोक्योरमेंट नियमावली के अनुसार इन सेवाओ को लया जा सकता है |
- उत्पादक समूह के सदस्यों के बीच से क्षमतावान व्यक्ति की पहचान करके उसे उत्पादक समूह के लए प्रमुख मानव संसाधन बनाना - इसके लए उत्पादक समूह ऐसे लोगो को प्रोत्साहित करके जिनका क्षमता-वर्धन करने के साथ इनको उत्पादक समूह के संसाधन के रूप में उपयोग करेगा

ववाद निपटारा -

पद-धारी सदस्य, निदेशक मंडल के सदस्यों के सहयोग से निम्नां कत ववाद निपटारा करेंगे :-

- उत्पादक समूह के सदस्यों का आपसी ववाद निपटारा

सदस्यो के आपसी ववाद निपटारे के लए निदेशक मंडल, समूह के सदस्यों का सहयोग लेंगे | ववाद निपटारे के लए नियम बनाये जायेंगे और सामूहिक निर्णय से आ र्थक दंड का भी प्रावधान कया जायेगा |

- कैडर का ववाद निपटारा

यदि कोई कैडर, उत्पादक समूह द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नही कर रहा हो, तो निदेशक मंडल व पद -धारियों की राय से उ चत निर्णय लया जा सकेगा |

- बाहरी संस्थाओ के साथ ववाद निपटारा -

यदि सी एल एफ या उत्पादक समूह की कसी क्रेता / वक्रेता या अन्य सम्बद्ध संस्थाओं के साथ ववाद हो, तो सी एल एफ , निदेशक मंडल एवं सामाजिक अंकेक्षण स मति इस ववाद को निपटायेगा | यदि लया गया निर्णय कसी के लए मान्य नहीं हो, इस स्थिति में जी वका के प्रखण्ड और जिला के प्रतिनि ध इस तरह के ववादों का निपटारा करने में सहायता करेंगे |

<u>एक सफल अगरबत्ती उत्पादक समूह का प्रारूप, जिससे पूरी परिकल्पना को समझने में सुगमता होगी</u>

<u>उत्पादक समूह का गठन</u>

ग्राम-संगठन स्तर पर एकसमान आ र्थक गति व ध वाले सदस्यों का एक पूर्णतः परिभा षत व पारदर्शी प्रणाली के तहत समावेशन जिसमें सभी की सहभा गता है, सभी की जवाबदेही है, एक बड़े हित के लए एकजुटता है एवं जिससे लाभ कमा कर एक आत्मनिर्भर संस्था - अगरबत्ती उत्पादक समूह - की नींव डाली गयी है

<u>उत्पादक समूह द्वारा पूँजी की माँग प्रस्तुत करना एवम् प्राप्त करना</u>

- अगरबत्ती उत्पादक समूह, सम्बद्ध सी एल एफ से पूँजी प्राप्त करने के लए अपने पद-धारियों से हस्ताक्षरित एक माँग-पत्र प्रस्तुत करता है
- प्रखण्ड परियोजना क्रन्यान्वयन इकाई, माँग को स्वीकृत कर अपने जिला परियोजना समन्वयन इकाई को अग्रसारित करता है
- जिला परियोजना समन्वयन इकाई, माँग की समीक्षा करके राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई में समबन्धित वभाग को अग्रसारित करता है
- राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, तत्सम्बन्धित कागजी कार्य को जाँच कर वत्त वभाग को भेजते हैं जहाँ से पूँजी सी एल एफ को रिलीज़ कर दिया जाता है

<u>आधारभूत संरचना का वकास</u>

- बैंक अकाउंट खुलना
- सामूहिक सु वधा केंद्र का चयन
- सभी सम्बद्ध सदस्यों एवं वी आर पी/कैडर का प्र शक्षण

- उत्पादक समूह के पद-धारियों का प्र शक्षण
- आवश्यकतानुसार उप-स मतियों व उप-समूहों का गठन एवं उनकी जिम्मेदारिओं का परिचय
- अन्य आवश्यक आधारभूत संरचना का वकास

चत्र :- उत्पादक समूह के सदस्यों द्वारा अगरबत्ती निर्माण के बि भन्न चरण

चत्र :- अगरबत्ती भण्डार-गृह; ग्रे डंग कया हुआ तैयार माल एवं तैयार माल को बाजार तक पहुँचाना

परि शष्ट १

1- उद्पादक समूह का नाम : ....
2- ग्राम का नाम : ....
3- प्रखण्ड का नाम : ....
4- जिला का नाम : ....
5- उद्पादक समूह के सदस्यों की सूची : ....

क्रम संख्या	उद्पादक समूह के सदस्यों का नाम	स्वयं सहायता समूह का नाम
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		

6. अगरबत्ती उद्पादक समूह के बैंक खाते का ववरण :

क्रम सं.	बैंक का नाम	खाता सं.	खाते का स्वरुप	बैंक में खाता चलाने हेतु प्रा धकृत व्यक्तियों के नाम
				नाम
1				**1**
				2
				3
2				**1**
				2
				3
3				**1**
				2